



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपियों 1-देवेन्द्र, 2-रविन्द्र व 3-संजीव प्रत्येक को हुई 05 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1-देवेन्द्र, 2-रविन्द्र व 3-संजीव पुत्रगण महावीर निवासीगण ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत के विरुद्ध थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 201/2008 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 28.07.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों 1-देवेन्द्र, 2-रविन्द्र व 3-संजीव प्रत्येक को 05 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री इन्द्रपाल एडीजीसी जनपद बागपत



मुख्य आरक्षी अमन सिंह कोर्ट पैरोकार थाना खेकड़ा

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर करने के आरोपी मनोज को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कारावास व 15,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।



अवगत कराना है कि अभियुक्त मनोज पुत्र रणबीर निवासी ग्राम शाहपुर बड़ौली थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2002 में पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 514/2002 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 515/2002 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुए थे। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 28.07.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-02 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त मनोज को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है



श्री अमित खोखर एडीजीसी



है0का0 रविन्द्र कोर्ट पैरोकार

विवेचक- उपनिरीक्षक श्री वीर सिंह

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 28.07.2025

बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-रवि कुमार पुत्र राजू सैनी
निवासी ग्राम कुर्डी थाना
छपरौली जनपद बागपत।

2-बब्लू पुत्र अशोक निवासी
ग्राम भभीसा थाना कांधला
जनपद शामली ।

3-कंवरपाल पुत्र इलम सिंह
निवासी ग्राम भभीसा थाना
कांधला जनपद शामली ।



4-मोनू पुत्र हरवीर निवासी ग्राम पुरामहादेव थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना छपरौली पुलिस टीम । (01 वारंटी)

2-थाना रमाला पुलिस टीम । (02 वारंटी)

3-थाना बालैनी पुलिस टीम ।(01)



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 28.07.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 237/25 धारा 191(2)/190/131/324(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 28.07.25 को थाना खेकडा पर आवेदक जुनैद पुत्र मुमताज अली निवासी गुलिस्ताँ कालौनी जनपद अलीगढ ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तों 1. चांद पुत्र इरफान 2. आकिब पुत्र गबरु 3. काला पुत्र अखलाक 4. आजिम पुत्र उस्मान 5.अमन पुत्र निजामु बेगा 6.आसिफ पुत्र ताहिर 7. लालू



पुत्र इमामुद्दीन 8. मीनू पुत्र जमील 9. अनस पुत्र सुकना 10. कादिर पुत्र साबिर एवं अज्ञात व्यक्ति निवासीगण कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर उसकी गाडी महिन्द्रा एक्सयूवी 700 को लाठी डन्डो से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र पर थाना खेकडा

पर मु0अ0सं0 237/25 धारा 191(2)/190/131/324(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 237/25 धारा 191(2)/190/131/324(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. आकिब पुत्र गबरुद्दीन निवासी करबा रटौल थाना खेकडा बागपत।
2. अजीम पुत्र उसमान निवासी करबा रटौल थाना खेकडा बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सनुज कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत
2. उ0नि0 श्री भुवनेश्वर कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत
3. है0का0 299 रामकुमार थाना खेकडा जनपद बागपत
4. का0 28 अजय नागर थाना खेकडा जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 28.07.2025

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने नाबालिक गुमशुदा को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के गुमशुदा नाबालिक को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया।



परिजनों द्वारा थाना रमाला पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-का0 1032 ब्रजेश थाना रामला जनपद बागपत ।



प्रेसनोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर दिनांक 28.07.2025

थाना सिंघावली अहीर ने थाना क्षेत्र में यूपी-112 पर ड्रोन उड़ने की की
झूठी/भ्रामक खबर फैलाने वाले 09 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त

विवरण/कार्यवाही—

दिनांक 27/28-07-2025 की रात्रि में यूपी-112 पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिंघावली अहीर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिंघावली अहीर, हिसावदा एवं वसौद में अज्ञात द्वारा ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं तथा चोरों



द्वारा रैकी की जा रही है। सूचना के आधार पर यूपी-112 तथा थाना सिंघावली अहीर पुलिस की टीम तत्काल सक्रिय होकर घटना स्थलों पर पहुंची और गहनता से जांच-पड़ताल की गई। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त सूचना पूर्णतः असत्य, भ्रामक एवं समाज में दहशत फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित की गई थी। थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए इस झूठी सूचना एवं अफवाह फैलाने के मामले में संलग्न 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- जनपद बागपत पुलिस आमजन से अपील करती है कि अफवाहों पर ध्यान न दें एवं किसी भी प्रकार की असत्य/भ्रामक सूचना प्रसारित करने से

परहेज करें। कानून व्यवस्था भंग करने अथवा भय एवं अफरातफरी फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1.पाल सिंह पुत्र रामकुमार निवासी हाल पता ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2.वली पुत्र रहमतूल्ला निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3.शाहिद पुत्र बाबू निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4.सलीम पुत्र ताज मौ0 निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5.फुरखान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 6.नौशाद पुत्र उम्रदीन निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 7.आमिर पुत्र यामीन निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 8.आकिल पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 9.उसमान पुत्र महमूद निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0प्रियवृत्त आर्य थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2.उ0नि0अखिलेश यादव थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3.उ0नि0सोनू कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4.उ0नि0पुलकित सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5.है0का0 210 दानवीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 6.का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनांक 28.07.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 245/25 धारा 137(2)/64(1) /115(2)/351(3) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 245/25 धारा 137(2) /64(1)/115(2) /351(3) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।



नोट-उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को दिनांक 27.07.2025 को बरामद किया गया है तथा उपरोक्त अभियोग में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 74 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट को धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में परिवर्तित किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अजय पुत्र सुरेश उर्फ सुरेशपाल निवासी ग्राम मवीखुर्द थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री दलजीत सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2.का0406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

